

[2023] 11 एस. सी. आर 643:2023 आई. एन. एस. सी 773

मुकदमों का विवरण

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. V.

एम/एस. शिखा ट्रेडिंग कंपनी। (2011 की सिविल अपील संख्या 2453) 25 अगस्त, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा उसकी दुकान को अवैध रूप से सील करने के खिलाफ प्रत्यर्थी के नेतृत्व में रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान, आयुक्त के खिलाफ आपराधिक अनुसंधान दर्ज करने के लिए विवादित निर्देश पारित करने में न्यायसंगत ठहराया, यह मानते हुए कि उन्होंने झूठा बचाव करते हुए एक हलफनामे का नेतृत्व किया था।

अभ्यास और प्रक्रिया-प्रतिकूल टिप्पणियां-व्याख्या:

आयोजित किया गया:प्रकृति में प्रतिकूल टिप्पणियाँ, सामान्य परिस्थितियों में या जब तक कि हाथ में मामले के उचित निर्णय के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो, पारित नहीं की जानी चाहिए-अभिलेख के गलत और गलत मूल्यांकन पर विवादित निर्देश पारित किए गए थे-अभिलेख प्रेषण रजिस्टर की पूर्व-तिथि या अंतर्वेशन के संबंध में लिए गए प्राथमिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है-रजिस्टर अलग-अलग हाथों, लिपि और भाषा में कई प्रविष्टियों को दर्ज करता है-न तो कोई कटिंग, ओवरराइटिंग है और न ही कोई अंतर्वेशन है-प्रेषण रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त पृष्ठ पर प्रविष्टि एस. एल. आई. डी. 3 से शुरू होती है और एस. एल. आई. डी. 1 पर समाप्त होती है और प्रत्यर्थी को प्रश्नगत संचार का प्रेषण क्र. सं. 20 पर पड़ता है। 2010, क्योंकि उक्त तिथि अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के परिसर को खोलने के लिए शुरू में दी गई 10 दिनों की अवधि से परे थी। 27.09.2010 – विवादित दिशाएँ पूरी तरह से गलत हैं, और अधिक, जब 644

643

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कार्यालय का प्रयास था कि बंद करने वालों को कर्तव्य की चोरी के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसे बचाने के लिए लाया जाए, जिसे निर्धारिती द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान करने की आवश्यकता होती है-अवलोकन किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश,

विवादित आदेश के माध्यम से, हटा दिए गए-इसके अनुसार शुरू की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, जिसमें एफ. आई. आर. भी शामिल है, तत्काल प्रभाव से बंद हो जाती है।[पैरा 9,10,12,13,20 और 21]

अभ्यास और प्रक्रिया-प्रतिकूल टिप्पणी-उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम (चार-न्यायाधीशों की पीठ) में निर्धारित परीक्षण-निम्नलिखित का गैर-पूर्ण कथन है:

आयोजित किया गया:उच्च न्यायालय का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों को योग्य नहीं बनाता है, जिसके आचरण की अनुसंधान की जा रही है-न तो अधिकारी को विवाद में पक्षकार बनाया गया था, न ही उसे कारण दिखाने का अवसर दिया गया था, और इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रत्यर्थी के खिलाफ शत्रुता रखने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं करता है, इससे पहले कि उसके खिलाफ इस तरह के प्रतिकूल निर्देश पारित किए गए थे-अदालत द्वारा टिप्पणियों को हमेशा न्याय, निष्पक्षता और संयम के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए-नियोजित शब्दों को संयम, संयम और आरक्षित होना चाहिए-तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अनुसंधान के पंजीकरण में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विवादित निर्देश।[पैरा 14,16,18.2 और 20]

अभ्यास और प्रक्रिया-प्रतिकूल टिप्पणियां-हटाने की शक्ति-उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग-पर चर्चा की गई।[पारस

19.1- 19.3.1]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम एयर 1964 एससी 703:[1964] एस. सी. आर. 363-पर निर्भर।

आर. के. लक्ष्मणन बनाम ए. के. श्रीनिवासन (1975) 2 एससीसी 466:[1976] 1 एस. सी. आर. 204; एस. के. विश्वंबरन बनाम ई. कोयाकुंजू (1987) 2 एस. सी. सी. 109: [1987] 2 एससीआर

501; साम्या सीट बनाम शंभू सरकार (2005) 6 एस. सी. सी. 767:[2005] 2 पूरका

एससीआर 686; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन (2011) 12 एससीसी 689:[2011] 11 एस. सी. आर. 678; के. जी. शांति बनाम यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2021) 5 एस. सी. सी. 511; निरंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर

(1986) 2 एससीसी 569:[1986] 2 एस. सी. आर. 470; अबनी कांत राय बनाम उड़ीसा राज्य (1995) 4 पूरकाएससीसी 169:[1995] 4 पूरकाएस. सी. आर. 333 ए. एम. माथुर बनाम

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. v.

645

एम/एस. शिखा ट्रेडिंग कंपनी।

प्रमोद कुमार गुप्ता (1990) 2 एससीसी 533:[1990] 2 एस. सी. आर. 110;
शिवाजीराव

निलंगेकर पाटिल बनाम महेश माधव गोसावी (1987) 1 एस. सी. सी. 227:[1987] 1 एस. सी. आर. 458; डॉ. रघुबीर सरन बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1:[1964] एस. सी. आर. 336; पंचानन बनर्जी बनाम उपेंद्र नाथ भट्टाचार्य ए. आई. आर. 1927 सभी 193; मनु शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2010) 6 एस. सी. सी. 1:[2010] 4 एससीआर

103 - संदर्भित किया गया।

मेसर्स शिखा ट्रेडिंग कं. बनामपंजाब और अन्न राज्य। सी. डब्ल्यू. पी. नं.

19909 2010 का दिनांक 08.12.2010-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील सं. 2453।2010 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19909 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 08.12.2010 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2011 की सिविल अपील सं. 2494।

रूप:

ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, मनिंदर सिंह, सीनियर एड., निखिल जैन, ऋषि सहगल, केशवम चौधरी, सुश्री अरवीन सेखों, सुश्री हरगुन संधू, सुश्री निकिता गिल, सुश्री दिव्या जैन, सुश्री मोनिका ढींगरा, अजय सभरवाल, अजय पाल, करण शर्मा, रक्तिम गोगोई, गौतम अवस्थी, आयुष चौधरी, देवांशु यादव, समीर पांडे, साहिल शर्मा, एड.उपस्थित दलों के लिए।

संजय करोल, जे।

2011 का नागरिक आवेदन NO.2453

1. पंजाब राज्य के नेतृत्व में 2010 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19909 में दिनांकित 08.12.2010 के फैसले के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने लुधियाना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आपराधिक मामला दर्ज करने और 646 मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

राज्य के एक अधिकारी, यानी सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान, आयुक्त (ए. ई. टी. सी.), लुधियाना-1 के खिलाफ विधिवत जांच की गई।

पृष्ठभूमि

2. शिखा ट्रेडिंग कंपनी 1 ने 13.09.2010 पर आबकारी और कराधान विभाग, पंजाब के अधिकारियों द्वारा अपनी दुकान को अवैध रूप से सील करने के खिलाफ एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

3. उक्त याचिका सी. डब्ल्यू. पी. नं. 19909/2010, दो भौतिक निर्देशों के साथ निपटाया गया; एक, कि चूंकि याचिका के लंबित रहने के दौरान, एस. टी. सी. की दुकान (परिसर) को सील कर दिया गया था, जिससे याचिका निष्फल हो गई थी; और दूसरा, कि सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त (ए. ई. टी. सी. लुधियाना-1) के रूप में तैनात राज्य के एक अधिकारी, ऋषि पाल सिंह ने झूठा बचाव करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। अतः उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही शुरू की जाए और उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर न्यायालय में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 4. वर्तमान अपील आदेश के दूसरे भाग के खिलाफ निर्देशित है जो यहाँ नीचे निकाला गया है:-

“याचिकाकर्ता का मामला यह है कि विभाग की टीम ने 13.09.2010 पर याचिकाकर्ता के परिसर का दौरा किया और उसे अवैध रूप से सील कर दिया। यह विवादित नहीं है कि उक्त दल ने परिसर का दौरा किया था लेकिन सील करने से इनकार कर दिया गया है। यात्रा के समय की कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के लिए सीलिंग का झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है जो तस्वीर में भी दिखाया गया है। यह ए. ई. टी. सी. का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ कोई दुश्मनी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया,

यह माना जाना चाहिए कि परिसर की सीलिंग विभाग द्वारा या उसके कहने पर की गई थी। यह भी कहा गया है कि 21.10.2010 दिनांकित होने का तात्पर्य रखने वाला एक अभ्यावेदन आदेश उक्त तिथि की तुलना में बहुत बाद में पारित किया गया था और इसे पूर्ववत कर दिया गया है और 21.10.2010 दिनांकित प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्टि जाली है। यदि आदेश पारित किया गया होता और 21.10.2010 पर सूचित किया गया होता, तो याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय में जाने का कोई अवसर नहीं होता। उपयोग की गई स्याही, प्रेषण रजिस्टर में स्थानीय भाषा में अन्य सभी प्रविष्टियों और प्रविष्टियों के पैटर्न की तुलना में केवल एक प्रविष्टि के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग

1 यहाँ प्रत्यर्थी; इसके बाद 'एस. टी. सी.' पंजाब राज्य और ए. एन. आर. के रूप में संदर्भित।

647

एम/एस. शिखा ट्रेडिंग कंपनी। [संजय करोल, जे।]

इसकी वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करें। पुरुष झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोल सकती हैं। स्पष्ट रूप से गलत रुख अपनाने में ए. ई. टी. सी. की कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चूंकि श्री ऋषि पाल सिंह, ए. ई. टी. सी., लुधियाना। की या उनके कहने पर की गई ये कार्रवाइयां संज्ञेय हैं, इसलिए हम एस. एस. पी. लुधियाना को एक आपराधिक मामला दर्ज करने और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार अनुसंधान करने का निर्देश देते हैं। अनुसंधान के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। संबंधित न्यायालय को अनुसंधान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा अनुसंधान की रिपोर्ट की प्रति के साथ अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजी जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और अनुसंधान या मुकदमे में वास्तविक निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करेंगी।

वर्तमान आवेदन

5. यहाँ ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने कर की चोरी में एस. टी. सी. की कथित अवैध कार्रवाइयों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है या कोई टिप्पणी नहीं की है, जो पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधान का उल्लंघन है। 6. आगे स्पष्ट करते हुए, एस. टी. सी. (यहाँ प्रतिवादी) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने भी वर्तमान अपील की विषय वस्तु टिप्पणियों के संबंध में तत्काल याचिका का विरोध नहीं किया है। यह इस पृष्ठभूमि में है; हम अपील के विषय पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 7. पीड़ित पक्ष (ओं) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अन्य आधारों के अलावा आग्रह किया है कि संबंधित अधिकारियों को प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों की व्याख्या करने का अवसर दिए बिना विवादित निर्देश पारित किए गए थे; विवादित निर्देश केवल प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावों पर निर्भर करते हैं, बिना किसी सबूत के; प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्टि, विशेष रूप से जिस

भाषा में इसे बनाया गया है, उस दस्तावेज़ को दर्शाती है जिसे व्यक्त किया जाना है, यानी, यदि मूल दस्तावेज़ अंग्रेजी में है, तो उसके अनुरूप प्रविष्टि भी अंग्रेजी में होगी; कर चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाले राज्य के एक अधिकारी के खिलाफ इस तरह के आदेश को पारित करना, जिसके परिणामस्वरूप एक हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ता है।

8. हमारे सामने, प्रत्यर्थी के पास पंजाब राज्य के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ राज्य के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, बहुत कम पीड़ित अधिकारी के खिलाफ। वर्तमान अपील का कोई विरोध नहीं है।

648

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

9. न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि इस मामले को शांत करने की आवश्यकता है। अभिलेख, जिसे हम संतुष्ट करते हैं, प्रेषण रजिस्टर की पूर्व-तिथि या अंतर्वेशन के संबंध में नीचे दी गई अदालत द्वारा लिए गए प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। रजिस्टर अलग-अलग हाथों, लिपि और भाषा में कई प्रविष्टियों को दर्ज करता है।

10. उच्च न्यायालय के पास इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है। यह फिर से एक रिकॉर्ड की बात है कि कई कारणों से, विभाग में कार्यरत लिपिक स्तर के विभिन्न अधिकारी प्रेषण रजिस्टर में प्रविष्टियां कर रहे हैं, इसलिए, स्याही और लिखावट में भिन्नता होना तय है। वर्तमान और साथ ही पिछले वर्षों के लिए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि कोई भी संचार, जिसका विषय अंग्रेजी में है, आमतौर पर अंग्रेजी में दर्ज किया जाता है और जब भी ऐसा संचार पंजाबी भाषा में होता है, तो प्रविष्टियां तदनुसार पंजाबी में दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा, प्रविष्टियों को क्रमिक रूप से किया गया है और इसके साथ कोई विसंगति नहीं पाई जा सकती है। न तो कोई कटिंग, ओवरराइटिंग है और न ही किसी भी प्रकार का कोई इंटरपोलेशन है। प्रेषण रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त पृष्ठ पर प्रविष्टि क्र. सं. No.2026 से शुरू होती है और क्र. सं. 2043 पर समाप्त होती है और प्रत्यर्थी को विचाराधीन संचार का प्रेषण क्र. सं. 2032 पर पड़ता है जो पृष्ठ के बीच में है। इसलिए, किसी भी अंतर्वेशन/छेड़छाड़ का सवाल नहीं उठता है, यहां तक कि दूर से भी। 11. इसे ध्यान में रखते हुए, रजिस्टर की वास्तविकता के बारे में संदेह इस आधार पर नहीं है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिलेख किसी भी तरह से संबंधित अधिकारी को प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई पूर्व स्वभाव या शत्रुता रखने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

12. यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 1 के संचार से पहले किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से लाभान्वित नहीं किया जाना था, क्योंकि उक्त तिथि अभी भी उच्च

न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के परिसर को खोलने के लिए शुरू में दी गई 10 दिनों की अवधि से परे थी, जिसमें दिनांक 2 के आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय नोटिस लेने में विफल रहा।

13. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, जिन निष्कर्षों पर पुनः प्रस्तुत (ऊपर) किया गया है, वे केवल अनुमानों और/या गंजे दावों पर आधारित हैं, बिना किसी निष्कर्ष को प्रमाणित करने वाली सामग्री या परिणामों के संबंध में। निर्देश पूरी तरह से गलत थे, विशेष रूप से, जब अधिकारी का प्रयास बंद करने वालों को बुक करने और शुल्क की चोरी को बचाने के लिए लाना था, जिसे अनिवार्य रूप से निर्धारिती द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता थी।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. V.

649

एम/एस. शिखा ट्रेडिंग कंपनी। [संजय करोल, जे.] 650

14. इसके अलावा, हम उच्च न्यायालय के निर्देशों पर ध्यान देते हैं कि वे कानून के तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में नहीं हैं, क्योंकि आदेश परीक्षण के योग्य नहीं है

इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नईम 2 (चार-न्यायाधीश) में निर्धारित

पीठ), किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी पारित करने के संबंध में, जिसके आचरण की उनके समक्ष जांच की जा रही है, अर्थात् "क्या वह पक्ष जिसके आचरण पर सवाल है, वह न्यायालय के समक्ष है या उसके पास स्पष्टीकरण देने या अपना बचाव करने का अवसर है; क्या उस आचरण से संबंधित रिकॉर्ड पर सबूत है, टिप्पणियों को उचित ठहराते हुए; क्या मामले के निर्णय के लिए, उसके अभिन्न अंग के रूप में, उस आचरण पर जानकारी देना आवश्यक है।"

15. इन सिद्धांतों को विभिन्न निर्णयों में दोहराया और उनका पालन किया जाता है।

जैसे आर. के. लक्ष्मणन बनाम ए. के. श्रीनिवासन 3 (तीन-न्यायाधीशों की पीठ); एस. के. विश्वांबरन बनाम ई. कोयाकुंजू 4 (दो-न्यायाधीश पीठ); साम्या सीट बनाम शंभू सरकार 5 (तीन-न्यायाधीश पीठ); मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन 6 (तीन-न्यायाधीश पीठ) और के. जी. शांति बनाम यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 7 (दो-न्यायाधीश पीठ)।

16. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि, न तो अधिकारी को विवाद में पक्षकार बनाया गया था, न ही उसे कारण दिखाने का अवसर दिया गया था, और इसके अलावा, अभिलेख पर कुछ भी प्रत्यर्थी के खिलाफ शत्रुता रखने वाले अधिकारी को प्रतिबिंबित नहीं करता था, इससे पहले कि इस तरह के प्रतिकूल निर्देश पारित किए गए थे। 17. इस अपील के माध्यम से, हमें इस न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, ताकि उक्त अधिकारी के खिलाफ पुनः प्रस्तुत टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जा सके। किसी अधिकारी के खिलाफ

प्रतिकूल टिप्पणी करने के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों पर विचार करना उचित होगा-चाहे वह न्यायिक हो, दीवानी हो (जैसा कि वर्तमान मामले में है) या पुलिस या सेना के कर्मी हों, और उन्हें निष्कासित किया जाए।¹⁸ नईम (ऊपर) में निर्धारित तीन सिद्धांत इस बात से संबंधित हैं कि अदालत को प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले क्या चाहिए।

18.1 यह बार-बार दोहराया गया है कि प्रतिकूल प्रकृति की टिप्पणियों को सामान्य परिस्थितियों में या जब तक कि पूरी तरह से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

2 AIR 1964 SC 703 3 (1975) 2 SCC 466 4 (1987) 2 SCC 109 5 (2005) 6 SCC 767 6 (2011) 12 SCC 689 7 (2021) 5 SCC 511

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

8. आवश्यक है जो मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक होने के कारण आगे योग्य है।

18.2 अदालत की टिप्पणी हमेशा न्याय, निष्पक्षता और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। प्रयुक्त शब्दों को संयम, संयम और संयम को प्रतिबिंबित करना चाहिए।¹⁰

18.3 यह हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणियाँ, "हमारे वस्त्रों में निहित महान शक्ति के कारण, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को खतरे में डालने और समझौता करने की क्षमता रखती हैं" और "अधिकारियों और विभिन्न कर्मियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक सकती हैं"। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि "किसी व्यक्ति के चरित्र और/या पेशेवर क्षमता पर गंभीर प्रकृति की प्रतिकूल टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।"¹¹

19. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियों को हटाने की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है:-

19.1 बहुत सावधानी और सावधानी के साथ, क्योंकि यह एक अनिर्दिष्ट शक्ति है ¹²;

19.2 केवल शक्ति के उग्र दुरुपयोग को दूर करने के लिए जो ऐसी टिप्पणियों को पारित करके किया गया है जो नुकसान या पूर्वाग्रह पैदा करने की संभावना है ¹³;

19.3 ऐसी शक्ति का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में यह देखा गया है:

19.3.1 पुनरीक्षण के उच्चतम न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय को यह देखने की शक्ति होनी चाहिए कि नीचे के न्यायालय अन्यायपूर्ण रूप से और बिना किसी वैध बहाने के किसी पक्षकार या गवाह या उसके समक्ष एक अधिवक्ता के चरित्र को नहीं छीनते हैं।¹⁴

8 रंजन पटनायक बनाम शशिभूषण कर (1986) 2 एस. सी. सी. 569, दो-न्यायाधीशों की पीठ; अबनी कांता रे बनाम उड़ीसा राज्य (1995) पूरक (4) एस. सी. सी. 169, दो-न्यायाधीशों की पीठ; ए. एम. माथुर बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता (1990) 2 एस. सी. सी. 533; दो-न्यायाधीशों की पीठ।

9 शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल बनाम महेश माधव गोसावी, (1987) 1 एस. सी. सी. 227; तीन-न्यायाधीश पीठ

10 के. जी. शांति (ऊपर)

11 ई. कोयाकुंजू (ऊपर)

12 डॉ. रघुवीर सरन बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1; दो-न्यायाधीशों की पीठ 13 डॉ. रघुवीर सरन (ऊपर)

14 पंचानन बनर्जी बनाम उपेंद्र नाथ भट्टाचार्य [ए. आई. आर. 1927 ऑल 193, जैसा कि शशिभूषण कर (उपरोक्त) में संदर्भित है।

पंजाब राज्य और ए. एन. आर. v.

651

एम/एस. शिखा ट्रेडिंग कंपनी। [संजय करोल, जे।]

19.3.2 यद्यपि न्यायिक अधिकारियों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा है कि "उच्च न्यायालय की भूमिका उसके अधीनस्थ न्यायपालिका के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भी है। शक्ति की ताकत केवल त्रुटियों, गलतियों या विफलताओं पर एक चाबुक को तोड़ने में प्रदर्शित नहीं होती है; शक्ति का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि एक बार निर्दोष या अनजाने में किए जाने पर पुनरावृत्ति को रोकने और बहिष्कार सुनिश्चित करने की प्रवृत्ति हो। "गलती को क्षमा करें लेकिन इसे दोहराने के लिए नहीं। यह सिद्धांत सभी सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा। नियंत्रित करने की शक्ति का प्रयोग केवल एक शिक्षक की बेंत चलाकर नहीं किया जाना चाहिए। 1516 20. उच्च न्यायालय द्वारा एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अनुसंधान के पंजीकरण में जारी किए गए विवादित निर्देश, निर्विवाद रूप से कानून के उपरोक्त तथ्य किए गए सिद्धांतों के खिलाफ, राज्य के नेक इरादे वाले अधिकारियों पर हतोत्साहित करने वाले प्रभाव डालते हैं। यह स्पष्ट है कि विवादित निर्देश रिकॉर्ड के गलत और गलत मूल्यांकन पर पारित किए गए थे। 21. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हम इसे उपरोक्त संक्षेपित सिद्धांतों के अनुसार, किए गए अवलोकन और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को हटाने के लिए एक मामला मानते हैं, जो सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 19909 में दिनांक 08.12.2010 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से ऊपर (पैरा 5) निकाला गया है।

2010 का शीर्षक मेसर्स शिखा ट्रेडिंग कंपनी बनाम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्न है।

इसके अलावा, उसके अनुसार शुरू की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, जिसमें एफ. आई. आर. भी शामिल है, तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।

22. राज्य की अपील को अनुमति दी जाती है और संबंधित अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

23. वार्ताकार आवेदन यदि कोई हों तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा। 24. कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

राज्य की अपील की अनुमति और

दिव्या पांडे

संबंधित अपील का निपटारा किया गया।

15 मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), 2010 6 एस. सी. सी. 1; दो-न्यायाधीशों की पीठ 16 'के' ए न्यायिक अधिकारी (ऊपर)